

कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ।

पत्रांक 146 / नक्शा / नि0वि0 / जि0पं0 / 2018-2019



दिनांक 18 दिसम्बर, 2018

मे0 कल्पना रेजीडेन्सी द्वारा कल्पना कांस्ट्रक्शन
ग्राम अहमदपुर खालसा व हुलासखेडा
विकास खण्ड-मौहनलालगंज
तहसील-मौहनलालगंज
जनपद लखनऊ।

आपके प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न मानचित्र पर समयक विचारोपरान्त मा0 अध्यक्ष जी के आदेश दिनांक 06.12.2018 के परिपालन में मानचित्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

ग्रामसभा अहमदपुर खालसा के खसरा संख्या 03, 7 अ, 11, 13 व हुलासखेडा विकास खण्ड मौहनलागंज तहसील मौहनलालगंज जनपद लखनऊ के खसरा संख्या 1040, 1041, 1046, 1047, 1050, 1051, 1055, 1058 व 1060 के भूखण्ड संख्या 202, 206, 417, 418, 476, 484, 511, 512, 574, 602, 603, 69, 70, 71, 72, 129, 134, 679, 676, 677, 722, 723, 780, 675, 638, 639, 628, 629, 646, 647, 756, 757, 815, 818, 894, 895, 1004, 1005, 1097, 1098, 1066, 1067 में प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार निर्माण कार्य 3456.18 वर्गमीटर में निर्माण कार्य की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों सहित दी जाती है।

- 1-प्रस्तावित भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय तथा निर्मोणाधीन अवधि में कोई भी निर्माण सामग्री मार्ग पर एकत्र न की जाये।
- 2-जल-मल की निकासी मार्ग की ओर न की जाये।
- 3-मुख्य मार्ग के मध्य से बिन्दु से निर्माण स्थल की प्रतिबधित दूरी के सम्बन्ध में रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल रूल्स 1965 के नियम-7 यथावत् लागू रहेंगे।
- 4-प्रतिबन्ध रहेगा कि भवन का निर्माण कार्य कुल कवर्ड एरिया 3456.16 वर्गमीटर में ही कराया जाये।
- 5-प्रतिबन्ध रहेगा कि अग्नि शमन व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- 6-प्रतिबन्ध रहेगा कि सडके, विद्युत, पेयजल, रेनवाटर हारवेस्टिंग आदि की व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा।
- 7-प्रतिबन्ध रहेगा कि दो वर्ष के अन्दर कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र कार्यालय जिले पंचायत, लखनऊ से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

बिना किसी पूर्व सूचना के नक्शे/भवन में किसी भी प्रकार का परिवर्धन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन भवन/मानचित्र में प्रस्तावित है, तो जिला पंचायत लखनऊ से स्वीकार किये बिना परिवर्तन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा। भू-स्वामित्व एवं किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में जिला पंचायत, लखनऊ उत्तरदायी नहीं होगी।

अनुमोदित मानचित्र किसी भी दशा में स्वामित्व का अभिलेख नहीं माना जायेगा।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, लखनऊ